

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270201  
SG-DL-E-17022026-270201असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|         |                                                |                            |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. 36] | दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947   | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 450 |
| No. 36] | DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947 | [N. C. T. D. No. 450       |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIशिक्षा विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

फा. सं. डीई.23(123)/आरटीई/एसएमसी/सीडब्ल्यूएसएन/2025/204-218—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 21 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा दिल्ली निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011, जो अधिसूचना संख्या डीई.23(462)/स्कू./शा./10/17-33, दिनांक 23.11.2011 द्वारा दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

## 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों को दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. संशोधन:** दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के नियम 3 में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"(2). विद्यालय प्रबंधन समिति की कुल क्षमता का 75 प्रतिशत विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता-पिता या अभिभावक कहेंगे। ऐसे विद्यालयों में जहाँ दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत परिभाषित विशिष्ट दिव्यांगता वाले एक या एक से अधिक बच्चे नामांकित हैं, ऐसे बच्चे के कम से कम एक माता-पिता या अभिभावक को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जिनका चयन ऐसे माता-पिता या अभिभावकों में से किया जाएगा।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से, उनके नाम पर,  
पांडुरंग के. पोल, आई.ए.एस., सचिव (शिक्षा)

## DIRECTORATE OF EDUCATION: RIGHT TO EDUCATION BRANCH

### NOTIFICATION

Delhi, the 4th December, 2026

**F. No. DE.23(123)/RTE/SMC/CwSN/2025/204-218.**—In exercise of the powers conferred by Section 38 read with sub-section (1) of Section 21 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Act No. 35 of 2009), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to amend the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, published vide notification no. DE.23(462)/Sch./Br./10/17-33, dated 23.11.2011, in the Delhi Gazette, namely:

#### 1. Short Title and Commencement:-

- (1) These rules shall be called the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

**2. Amendment:** In the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, in Rule 3, in place of sub-rule (2), the following shall be substituted:

*"(2). Seventy-five percent of the total strength of the School Management Committee shall comprise parents or guardians of children enrolled in the school. In schools where one or more Children with specific disabilities, as defined under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, are enrolled, at least one parent or guardian of such a child shall be included as a member, selected from among such parents or guardians."*

By Order and in the Name of Lt. Governor of  
National Capital Territory of Delhi,  
PANDURANG K. POLE, I.A.S., Secy. (Education)